

THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY



15 FALGUN 1945 (S)

No. 131

RANCHI, TUESDAY 5th MARCH, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION 5th March. 2024

Notification No.- 13/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 60, Dated 05th March, 2024--In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(1.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B	Chapter 99	Services provided to a Governmental	Nil	Nil";
		Authority by way of -		
		(a) water supply;		
		(b) public health;		
		(c) sanitation conservancy;		
		(d) solid waste management; and		
		(e) slum improvement and		
		upgradation.		

- (2.) against serial number 6, in column (3),in item (a), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (3.) against serial number 7,in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)"shall be inserted;
- (4.) against serial number 8,in column (3)in the proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (5.) against serial number 9,in column (3),inthe first proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- 2. This notification shall be deemed to be effective from the 20th day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023] By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,

Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: The principal notification no. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended vide notification no. 07/2023 - State Tax (Rate), dated the 16th October, 2023 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 37, dated the 16th October, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संo. 13/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 60, दिनांक 5 मार्च, 2024 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

इस अधिसूचना में, तालिका में,-

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख	अध्याय ११	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को	शून्य	शून्य";
		प्रदान की जाने वाली सेवाएं-		
		(क) जलापूर्तिः		
		(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य;		
		(ग) स्वच्छता संरक्षण;		
		(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और		
		(ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।		

- (2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में,खंड (क) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक" [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रम संख्या 7 के समक्ष,कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक" [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (4) क्रम संख्या 8 के समक्ष,कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक" [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक" [और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)] " को अंतःस्थापित किया जाएगा ।
- 2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/01/2023] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल, सचिव, वाणिज्य-कर विभाग ।

टिप्पणः मूल अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस.ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2023- राज्य कर (दर), दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 जिसे एस.ओ. सं. 37, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
